रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 9, 2012/माघ 20, 1933
No. 57] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 9, 2012/MAGHA 20, 1933

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2012

सा.का.नि. 80(अ).— गर्भधारण पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा गर्भ-धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) नियमावली, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात:-

1. (1) इन नियमों को **गर्भधारण पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग-चयन का प्रतिषेध) संशोधन नियमावली, 2012** कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होंगे।

2. प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) नियमावली, 1996 (इसके बाद उक्त नियमावली के रूप में संदर्भित) के नियम 2 में खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंडों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(छ) "मोबाइल मेडिकल यूनिट" से एक मोबाइल वाहन अभिप्रेत है बुनियादी विशेषज्ञ सेवाओं के जरूरतमंद रोगियों के लिए विशेषज्ञता सुविधाएं मुहैया करवाती है और समूचे देश में विशेषतया अल्पसेवित क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों में बेहतर पहुंच और घर पर स्वास्थ्य सेवाओं के समान वितरण की व्यवस्था करती है' ।

'(ज) "मोबाइल जेनेटिक क्लीनिक" से एक मोबाइल मेडिकल यूनिट अभिप्रेत है जहां भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने में सक्षम अल्ट्रा साउंड मशीन या इमेजिंग मशीन अथवा स्कैनर या अन्य सुवाह्य उपकरण का उपयोग किया जाता है या जिसमें गर्भावस्था के दौरान लिंग का पता लगाने अथवा गर्भधारण पूर्व लिंग का चयन करने की क्षमता है'।

2. उक्त नियमावली में, नियम 3 क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

3 ख (1) सुवाह्य मशीनों का नियमन:- सुवाह्य अल्ट्रासाउण्ड मशीन अथवा अन्य किसी सुवाह्य मशीन अथवा यंत्र जिसकी गर्भाधान पूर्व लिंग के चयन अथवा गर्भावस्था के दौरान लिंग की जांच करने की क्षमता हो, को केवल निम्नलिखित स्थितियों में उपयोग की अनुमति दी जाएगी, अर्थात्:-

(क) सुवाह्य मशीन का उस परिसर के भीतर जिसके लिए यह पंजीकृत हो, अंतरंग रोगियों को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उपयोग;

(ख) अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले सचल चिकित्सा एकक के भाग के रूप में ;

स्पष्टीकरण.- इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ, अभिव्यक्ति "स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं" से सचल चिकित्सा एकक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं अभिप्रेत हैं जिनमें निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है, अर्थात:-

(i) रोग निवारक

(क) जटिल मामलों को रैफर करना;

(ख) क्षयरोग, मलेरिया, कुष्ठ रोग, काला आजार एवं अन्य स्थानीय रूप से स्थानिकमारी वाले संचारी रोगों एवं अतिरक्तदाब, मधुमेह, मोतियाबिंद मामलों इत्यादि सरीखे गैर-संचारी रोगों का शुरू में पता लगाना;

(ग) छोटी-मोटी शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं और टांके लगाना;

(घ) ओ एंड जी विशेषज्ञ, बाल चिकित्सक एवं कायचिकित्सक सरीखी विशेषज्ञ सेवाएं;

(ii) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं

(क) प्रसव पूर्व जांच एवं संबंधित सेवाएं;

(ख) जटिल प्रसवों को रैफर करना;

(ग) संस्थागत प्रसवों का संवर्धन;

(घ) प्रसवोपरांत जांच;

(ङ) प्रतिरक्षण क्लीनिक;

(च) बचपन की आम बीमारियों का उपचार;

(छ) जननमार्गीय संक्रमण अथवा यौन संचारित संक्रमणों का उपचार;

(ज) जीवन शैली शिक्षा, परामर्शन, छोटी-मोती बीमारियों के उपचार सरीखी किशोर परिचर्या;

(iii) परिवार नियोजन सेवाएं

(क) बच्चों में अंतर रखने और स्थायी विधि के लिए परामर्शन;

(ख) गर्भनिरोधकों का वितरण;

(iv) **नैदानिक**

(क) हीमोग्लोबिन, पेशाब की जांच सरीखी जांच सुविधाएं;

(ख) कुष्ठ रोग, क्षय रोग अथवा स्थानिकमारी वाले रोगों का नैदानिक रूप से पता लगाना;

(ग) कैंसर आदि की जांच;

(v) **विशेषीकृत सुविधाएं एवं सेवाएं**

(क) एक्स-रे;

(ख) ई.सी.जी.;

(ग) अल्ट्रासाउंड जांच;

(vi) आपदा या महामारी या जन स्वास्थ्य आपातकाल या दुर्घटनाओं आदि के समय में आपातकाल सेवाएं और परिचर्या।

(2) सचल जेनेटिक क्लिनिक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विनियमन

(क) अल्पसेवित जनसंख्या द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए शहरी मलिन बस्तियों या ग्रामीण या दूर दराज या पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों में अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करते हुए सचल चिकित्सीय एकक के एक भाग के रूप में एक सचल जेनेटिक एकक प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों का संचालन करेगा एवं प्रदान करेगा।

(ख) किसी भी परिस्थिति में मशीन का प्रयोग भ्रूण के लिंग निर्धारण के लिए नहीं किया जाएगा।

(ग) केवल प्रसवपूर्व नैदानिक सुविधाएं प्रदान करने वाले स्टैंड एलोन सचल अल्ट्रासाउंड एकक प्रतिबंधित है।

(घ) नैदानिक सेवाएं प्रदान करने वाला सचल चिकित्सीय एकक के पास रोगियो को सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त स्थान होगा।

3. उक्त नियमों में नियम 4 में उप नियम (ii) के बाद निम्नलिखित उप-नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"(iii) एक जेनेटिक क्लिनिक के पंजीकरण में एक सचल चिकित्सीय एकक के एक भाग के रूप में प्रसवपूर्व नैदानिक सुविधाएं प्रदान करने वाला प्रत्येक सचल जेनेटिक क्लीनिक का पंजीकरण भी शामिल होगा और ऐसा वाहन ही मोबाईल जेनेटिक एकक के रूप में पंजीकृत होगा।

4. उक्त नियमों में नियम 6 में उप-नियम (2) के बाद निम्नलिखित उप-नियमों को अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2) क (क) पंजीकरण के प्रमाणपत्र की एक प्रति को पंजीकृत सचल चिकित्सीय एकक द्वारा वाहन में एक सुस्पष्ट स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।

(ख) ऐसे एकक के पंजीकरण प्रमाणपत्र में निम्नलिखित को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा:-

(i) इसके संचालन का क्षेत्र जो कि किसी भी स्थिति में इसके जिले के परे नहीं होगा जिसमें यह पंजीकृत हुआ है।

(ii) संस्थापित की गई सुवाह्य मशीनों और वाहन में प्रयोग की जा रही मशीनों की संख्या।

(iii) सुवाह्य मशीन का निर्माण वर्ष एवं मॉडल संख्या।

(iv) वाहन की पंजीकरण संख्या।

(v) सचल चिकित्सीय एकक के लिए सेवा प्रदानकर्ता का पूरा पता।

2(ख) प्रसव-पूर्व नैदानिक जांच करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सुवाह्य उपकरण मोबाइल मेडिकल यूनिट का एक अभिन्न भाग होगा, ऐसे उपकरण का ऐसी इकाई से बाहर किसी भी परिस्थिति में उपयोग नहीं किया जाएगा।

2(ग) वाहन के खराब हो जाने की स्थिति अथवा किसी अन्य कारण जिसकी वजह से मोबाइल यूनिटों को जेनेटिक क्लीनिक की तरह उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, तब उपयुक्त प्राधिकारी को सात दिनों की अवधि के भीतर सूचित करना होगा।

5. उक्त नियमों के नियम 9 के उप-नियम (1) में "जेनेटिक क्लीनिक" शब्दों को " जेनेटिक क्लीनिक सहित मोबाइल जेनेटिक क्लीनिक" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6. उक्त नियमों के नियम 9 के उप-नियम (4) में "जेनेटिक क्लीनिक" शब्दों के लिए " जेनेटिक क्लीनिक सहित मोबाइल जेनेटिक क्लीनिक" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. एन-24026/60/2008]

अनुराधा गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मुख्य सूचना को भारत के राजपत्र में दिनांक 1 जनवरी, 1996 की सा.का.नि. 1(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था तथा दिनांक 14 फरवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 109(अ) के तहत संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2012

G.S.R. 80(E).— In exercise of the powers conferred by section 32 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994), the Central Government hereby makes the following further amendments to the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996 namely :-

1. (1) These rules may be called the **Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Amendment Rules, 2012.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996 (herein after referred to as the said rules) in rule 2, after clause (f), the following clauses shall be inserted, namely: -

'(g) "Mobile Medical Unit" means a mobile vehicle which provides specialised facilities for the patients, requiring basic specialist services and provides improved access to healthcare facilities and equitable distribution of health services at the doorsteps, across the country, especially in the underserved areas'.

'(h) "Mobile Genetic Clinic" means a mobile medical unit where ultrasound machine or imaging machine or scanner or other equipment capable of determining sex of the foetus or a portable equipment which has the potential for detection of sex during pregnancy or selection of sex before conception is used'.

2. In the said rules, after rule 3A, the following rule shall be inserted, namely:-

"3B (1). Regulation of portable machines- The use of portable ultrasound machine or any other portable machine or device which has the potential for selection of sex before conception or detection of sex during pregnancy shall be permitted only in the following conditions, namely :-

(a) the portable machine being used, within the premises it is registered, for providing services to the indoor patients ;

(b) as part of a mobile medical unit, offering a bouquet of other health and medical services;

423 GI/12–2

Explanation.- For the purpose of this sub-rule, the expression "other health and medical services" means the host of services provided by the mobile medical unit which may include the following, namely:-

(i) Curative

(a) Referral of complicated cases;
(b) Early detection of TB, Malaria, Leprosy, Kala-Azar and other locally endemic communicable diseases and non communicable diseases such as hypertension diabetes, cataract cases etc;
(c) Minor surgical procedures and suturing;
(d) Specialist services such as O and G Specialist, Paediatrician and Physician;

(ii) Reproductive and Child Health Services

(a) Ante natal check up and related services;
(b) Referral for complicated pregnancies;
(c) Promotion of institutional deliveries;
(d) Post-natal check up;
(e) Immunization clinics;
(f) Treatment of common childhood illness;
(g) Treatment of Reproductive Tract Infection or Sexually Transmitted Infections;
(h) Adolescents care such as lifestyle education, counselling, treatment of minor ailments.

(iii) Family Planning Services

(a) Counselling for spacing and permanent method;
(b) Distribution of contraceptives

(iv) Diagnostic

(a) Investigation facilities like haemoglobin, urine examination;
(b) Clinical detection of leprosy tuberculosis or endemic diseases;
(c) Screening of cancer etc.

(v) Specialised facilities and services

(a) X- ray;
(b) ECG;
(c) Ultrasound test

(vi) Emergency services and care in times of disaster or epidemic or public health emergency or accidents etc'.

(2).Regulation of services to be offered by Mobile Genetic Clinic-

(a) A Mobile Genetic Clinic shall operate and offer pre-natal diagnostic techniques, only as part of a Mobile Medical Unit offering a bouquet of other health and medical services, in urban slums or rural or remote or hilly or hard to reach areas for improved access to health care services by underserved populations.

(b) The machine under no circumstances shall be used for sex determination of the foetus

(c)The stand alone mobile ultrasound clinic offering only pre-natal diagnostic facilities are prohibited.

(d) The mobile medical unit offering diagnostic services shall have adequate space for providing the facilities to patients".

3. In the said rules, in rule 4, after sub-rule (ii), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(iii) - The registration of a genetic clinic shall also include the registration of each and every mobile genetic clinic offering pre-natal diagnostic facilities as part of a medical mobile unit and such a vehicle has to be registered as a mobile genetic unit".

4. In the said rules, in rule 6, after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(2) A(a) One copy of the certificate of registration shall be displayed by the registered mobile medical unit inside the vehicle at a conspicuous place.

(b) The certificate of registration for such unit, shall clearly specify the following :-

(I) the area of its operation, which shall not exceed the district wherein it is registered;

(II) the number of portable machines installed and being used in the vehicle;

(III) the make and model number of the portable machine;

(IV) the registration number of the vehicle;

(V) full address of the service provider for the mobile medical unit".

(2)B. The portable equipment used for conducting pre-natal diagnostic test shall be an integral part of the mobile medical unit and such equipment shall not be used outside such unit under any circumstances.

(2)C. In case of a breakdown of the vehicle or for any other reason due to which the registered unit cannot be used as a Genetic Clinic, the Appropriate Authority has to be informed within a period of seven days.

5. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (1), for the words "Genetic Clinic" the words "Genetic Clinic including a Mobile Genetic Clinic" shall be substituted.

6. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (4), for the words "Genetic Clinic" the words "Genetic Clinic including a Mobile Genetic Clinic" shall be substituted.

[F. No. N. 24026/60/2008]

ANURADHA GUPTA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India vide G.S.R. 1(E), dated the 1st January, 1996 and amended, vide notification No. G.S.R. 109(E), dated the 14th February, 2003.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.